(163)

संख्या– 828 /XVI II(1)/2011–01(9)/2011

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून दिनांक २३ सितम्बर, 2011

विषय– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील कार्यालय रानीखेत के पुनर्निमाण/मरम्मत हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2368/22-बजट/2011दिनांक 21.06.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के अन्तर्गत तालिकानुसार प्रस्तुत आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 14.92 लाख के आगणनों पर प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत कार्यों हेतु ₹ 14,92,000/–(रू0 चौदह लाख बयानब्बे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	प्रस्तुत आगणन की धनराशि	टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि
1.	तहसील कार्यालयों का पुनर्निमाण/मरम्मत	8.13 लाख	**7.61 लाख**
2.	संयुक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं कार्यालय की मरम्मत	7.85 लाख	**7.31 लाख**
	योग	**15.98 लाख**	**14.92 लाख**

1 कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेय्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

2 कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

3 कार्य कर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4 कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्तर का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

5 निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

6 कार्यों के सम्पादन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7 कार्य कराने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 गठित कर लिया जाये, जिसमें defect liability clouse का प्राविधान भी सुनिश्चित कर लिया जाय।

G.O.doc

(1)

8 मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9 यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाए।
10 स्वीकृत की जा रही धनराशि से प्रथमतः कार्यालय भवनों का निर्माण सम्पादित कराया जायेगा।

2– उक्त व्यय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय–60–अन्यभवन–आयोजनागत–00–051–निर्माण–03–तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्यो के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–96P/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/2011 दि0 20.09.2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

संख्या–८२८ (1)/XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2 आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल उत्तराखण्ड।
3 जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6 बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8 सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।